न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 67/2022 G.C.M.S. No. 2022/239 दर्ज दिनांक : 27.06.2022

अपीलार्थिगण:

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह जी, जाति रावणा राजपूत
2. चिमनसिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह, जाति रावणा राजपूत
3. प्रेमसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति रावत राजपूत, निवासी धेनड़ी, तहसील रानी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी।
2. हरीसिंह पुत्र लुणसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी धेनड़ी तहसील रानी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानी के आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2017 बअनवान हरीसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह।

उपस्थित–

1. श्री पीताराम परिहार, श्री प्रवीण गर्ग, श्री राजेन्द्रकुमार, श्री राकेश गहलोत विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 14.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानी के आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2017 बअनवान हरीसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम घेनड़ी के खसरा नं. 221 जो रेस्पोडेन्ट हरीसिंह की खातेदारी का उसमें जाने आने हेतु धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया कि खसरा नंम्बर 221 में जाने आने हेतु खसरा नं. 220 में से जो अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है मे से 20 फुट चौडाई के रास्ते की मांग की है इस पर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गयें अपीलाण्ट ने दिनांक 05.06.2017 को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, और पैरवी हेतू वकील श्री सुभाषसिंह राजपुरोहित को वकालतनामा दिया गया। सुभाषसिह ने रेस्पोडेन्ट से मिलकर अपीलाण्ट की कोई पैरवी नहीं की गई तब अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश दिनांक 31.10.2019 को पारित किया गया। उक्त एकतरफा आदेश की जानकारी हल्का पटवारी घेनड़ी द्वारा दिनांक 03.06.2022 को दी। तब अपीलाण्ट उम्मेरसिह के लडके पप्पुसिह को रानी भेज कर नकल हेतू आवेदन दिनांक 03.06. 2022 को करवाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नकल दिनांक 06.06.2022 को मिलने पर माननीय न्यायालय में निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को दबाव व सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया। उक्त आज्ञा दिनांक 31.10.2019 को एकतरफा पारित की गई है। अपीलाण्ट के हक अधिकार हनन हुये है। इस आधार पर भी अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य है। पूर्व में रेस्पोडेन्ट हरीसिह ने गाम पंचायत घेनडी में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत घेनडी ने दिनांक 30.03.1997 को रेस्पोडेन्ट हरीसिंह का आवेदन अपीलाण्ट को सुनने के बाद में खारिज किया गया। ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 30. 03. 1997 के विरूद्ध न्यायालय श्री जिला कलेक्टर पाली में रेस्पोडेन्ट हरीसिह ने अपील पेश की, उक्त अपील अपीलाण्ट हरीसिंह बनाम रेस्पोडेन्ट उम्मेदसिंह वगैरा मुकदमा नंम्बर 299/1999 दर्ज करते हुये। सुनवाई करते हुयें दिनांक 16.08.2000 को आदेश पारित किया गया। तथा मामला तहसीलदार देसुरी को मामला रिमाण्ड इस निर्देश पर की तहसीलदार विवादित भूमि का मौका एवं राजस्व रेकर्ड की जाँच कर दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत आदेश पारित करें। रेस्पोडेन्ट हरीसिह ने तहसीलदार देसुरी के न्यायालय मे प्रकरण संख्या 02/2007 रेस्पोडेन्ट हरीसिह बनाम उम्मेदसिह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 22.06.2009 के विरूद्ध जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। देरीना अपील पेश करने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पेश किया गया तत्पश्चात जिला कलेक्टर पाली ने अपील संख्या 02/2009 दिनांक 27.05.2010 को रेस्पोडेन्ट हरीसिंह की अपील खारिज की गई और तहसीलदार देसुरी का आदेश दिनांक 22. 06.2009 को यथावत रखा गया। निर्णय दिनांक 27.05.2010 व 16.08.2000 की फोटो कॉपी साथ संलग्न है। इस आधार पर भी अपील स्वीकार करने योग्य है। रेस्पोडेन्ट हरीसिंह ने नये सिरे से अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 251ए आर.टी. एक्ट के तहत न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष आवेदन पेश किया गया। उक्त आज्ञा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये पारित की गई जो प्राकृतिक सिद्धान्तो के विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट हरीसिंह ने जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 16.08.2000 व दिनांक 27.05. 2010 एवं ग्राम पंचायत घेनडी के आदेश दिनांक 30.03.1997 व तहसीलदार देसुरी के आदेश दिनांक 22.06.2009 का बिना किसी प्रकार का उल्लेख किये हुये अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे मे रखते हुये। उक्त आज्ञा दिनांक 31.10.2019 को पारित करवाया है जबकि पूर्व मे जिला कलेक्टर तहसीलदार व ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट ड्रीसिह का आवेदन व अपील खारिज की गई है एवं रेस्पोडेन्ट हरीसिंह की खातेदारी भूमि खसरा नं 221 व 223 में आने जाने हेतु खसरा नंम्बर 219 गैरमुमकिन बालि मे से आना जाना आज दिंन होता रहा है एवं रास्ता व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पगडन्डी आज भी मौजूद है रेस्पोडेन्ट हरीसिंह अपनी खातेदारी भूमि में जाने आने हेतु विकल्पित रास्ता मौजूद होते हुये भी अपीलाण्ट अपनी भूमि को मेहरूम रखने की नियत से बार बार अपीलाण्ट की भूमि मे से ही रास्ते की मांग की जा रही है जो गलत है इस आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य हैं। आर.आई द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गई जिसमें खसरा नं. 219 गैर मुमकिन बालि बताई गई है एवं अपीलाण्ट ने आपस में बंटवारा कर कम भूमि में खेती की जा रही है। यदि अपीलाण्ट के खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेन्ट हरीसिंह ने रास्ते हेतु भूमि दी जाती है तो खातेदारी भूमि कम हो जायेगी और काश्त करना मुश्किल हो जायेगा। रेस्पोडेन्ट हरीसिंह को खसरा नं. 166 व 219 मे से जाने आने हेतु रास्ता मौजूद हैं एव खसरा नम्बर 166 रेस्पोडेन्ट हरीसिंह के परिवार की भूमि है एवं रेस्पोडेन्ट हरीसिह के खातेदारी भूमि के पास है, जो आराम से आ जा सकता है जो डामर रोड पर निकता है रेस्पोडेन्ट हरीसिंह की खातेदारी भूमि मे जाने आने हेतु विकल्पित रास्ता खसरा नंम्बर 166 व 219 में से आज दिन तक जाता आता रहा है मौके रास्ता मौजूद है इसी आधारो पर ग्राम पंचायत घेनडी तहसीलदार देसुरी व जिला कलेक्टर पाली द्वारा रेस्पोडेन्ट हरीसिह के प्रार्थना पत्र व अपील खारिज की गई है लेकिन उन तमाम आदेशों (निर्णय) के अस्तिव में रहते हुयें अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे में रखते हुये नये सिरे से धारा 151ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पेश किया एवं अपीलाण्ट ने रानी उपखण्ड न्यायालय में पैरवी करने हेतू सुभाष सिंह पुरोहित को वकील नियुक्त किया जो रेस्पोडेन्ट हरीसिंह का रिश्तेदार है इसी कारण अपीलाण्ट की पैरवी न करके एकतरफा कार्यवाही की गई जिससे अपीलाण्ट सुनवाई से वंचित रहें है। इसी आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार करना योग्य है। अपीलाण्ट को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.06.2022 को आज्ञा दिनांक 31.10.2019 की एकतरफा कार्यवाही की जानकारी लेने पर अपीलाण्ट उम्मेदसिंह के लड़के पप्पुसिंह को दिनांक 03. 06.2022 को रानी भेजकर नकल आवेदन पेश करवाया उक्त नकल दिनांक 06.06.2022 को मिलने पर एवं समझकर एकतरफा कार्यवाही की जानकारी हुई। माननीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है अपील को समय अवधि मे मानकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुये अपील अपीलाण्ट दर्ज फरमावें तथा देरी को माफी करने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन व मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा हैं। उपरोक्त आधारो पर देरी को माफी करते हुये अपील को समय अवधि मे दर्ज करते हुये सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत् रूप से अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपील के साथ नजरीये नक्शा पेश किया जा रहा है जिसमें खसरा नम्बर 219 गै०मु, बालि है जिसमें से रेस्पोडेन्ट हरीसिंह अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 221 व 223 में जाता आता रहा है। तथा विकल्प के तौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पर खसरा नम्बर 166 रेस्पोडेन्ट हरीसिंह के परिवार की खातेदारी भूमि है जो रेस्पोडेन्ट हरीसिंह के बिल्कुल पास है जो डामर रोड़ से नजदीक है उसमें से भी रास्ता मौजूद है। पूर्व में तहसीलदार ग्राम पंचायत जिला कलेक्टर पाली न्यायालयों से रेस्पोडेन्ट हरीसिंह का आवेदन व अपील खारिज किये गये है इसी आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट हरीसिंह द्वारा अपनी खातेदारी आराजी 221 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु अपीलांट के विरूद्ध धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत की। जोकि परिसीमा अवधि से बाधित है। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलाण्ट को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.06.2022 को आज्ञा दिनांक 31.10.2019 की एकतरफा कार्यवाही की जानकारी लेने पर अपीलाण्ट उम्मेदसिंह के लड़के पप्पुसिंह को दिनांक 03.06.2022 को रानी भेजकर नकल आवेदन पेश करवाया उक्त नकल दिनांक 06.06.2022 को मिलने पर एवं समझकर एकतरफा कार्यवाही की जानकारी हुई। माननीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है अपील को समय अवधि मे मानकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुये अपील अपीलाण्ट दर्ज फरमावें।
2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 15.02.2017 को दर्ज होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.04.2017 की आदेशिका के अंकन अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उपस्थित जवाब हेतु समय चाहते हैं तथा आदेशिका पर तीनों अपीलांट्स के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को

Scanned with OKEN Scanner

जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए, उसके बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 30.07.2019 को जवाब बंद किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित अपीलाधीन प्रकरण के संबंध में अपीलांट्स को विधिवत सम्मन तामील हुए हैं तथा अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। जिनके हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर है। अतः अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन निर्णित प्रकरण की जानकारी सम्मन तामील होने तथा इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.04.2017 को प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने की दिनांक से भलीभांति जानकारी थीं। अतः अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.06.2022 को हुई, पूर्णतया बनावटी व काल्पनिक कथन है। हस्तगत प्रकरण में लगभग 30 माह अर्थात लगभग 900 दिवस का दीर्घ विलंब निहित है। जिसके लिए अपीलांट द्वारा कोई युक्तियुक्त, उचित, सद्भाविक व स्वीकार्य कारण दर्शित नहीं किए हैं। अतः हमारे विनम्र मत में ऐसी स्थिति में 900 दिवस का दीर्घ विलंब बिना किसी युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण के माफ किया जाना परिसीमा अधिनियम के आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किया जाना परिसीमा अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त कर देगा। अतः हमारे विनम्र मत में लगभग 900 दिवस का दीर्घ विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलांट्स प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज किया जाना तथा जिसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम 1963 से बाधित होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner